नई दिल्ली, 6 मार्च, 2020

सा.का.नि. 64.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज व श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली, में तकनीशियन ईईजी, ईएमजी/एनसीवी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज व श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली, तकनीशियन ईईजी, ईएमजी/एनसीवी (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2020 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**— उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि.**—भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता .**—वह व्यक्ति,–

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडे वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
तकनीशियन ईईजी, ईएमजी/एनसीवी	2*(2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 6 (35400-112400 रुपए)	लागू नहीं होता	30 वर्ष से अधिक नहीं। (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण 1** :- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएँ	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएँ प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इलैक्ट्रोनिक्स तथा इलैक्ट्रिकल कम्यूनिकेशन इंजीनियरी में बी. टैक और न्यूरो साइंस प्रयोगशाला में एक वर्ष का अनुभव ; **अथवा** (ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इलैक्ट्रोनिक्स तथा इलैक्ट्रिकल कम्युनिकेशन इंजीनियरी या न्यूरो इलैक्ट्रो फिज़ियोथैरेपी में तीन वर्षीय डिप्लोमा तथा न्यूरो साइंस प्रयोगशाला में दो वर्ष का अनुभव।	आयु : लागू नहीं होता । शैक्षिक अर्हता: लागू नहीं होता ।	दो वर्ष	प्रतिनियुक्ति (अल्प कालिक संविदा सहित) जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति सीमित है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितयों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति (अल्प कालिक संविदा सहित) द्वारा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या स्वायत्त या कानूनी संगठनों या पब्लिक सेक्टर के उपक्रम या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त शोध संस्थान के ऐसे अधिकारी– (क) (i)जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; अथवा (ii)जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -5 (29200-92300/- रुपए) में पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में छह वर्ष	**समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें शामिल होंगे:** 1. अपर चिकित्सा अधीक्षक, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज -अध्यक्ष; 2. लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में न्यूरोलोजी विभाग के अध्यक्ष -सदस्य; 3. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज का प्रशासनिक कार्य देखने वाले उप-निदेशक - सदस्य ; 4. लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, नई दिल्ली के उप निदेशक - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

की सेवा की है, और (ख) जो स्तम्भ (7) के अंतर्गत सीधी भर्ती हेतु विहित निर्धारित शैक्षिक अर्हताएँ और अनुभव रखते हों। **टिप्पण 1:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

[फा.सं.ए. 12018/13/2019-एम.एच. II]

जी. पी. सामंत, अवर सचिव

New Delhi, the 6th March, 2020

G.S.R. 64.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Technician EEG, EMG/NCV, Lady Hardinge Medical College and Srimati Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi, namely:-

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Lady Hardinge Medical College and Srimati Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi, Technician EEG, EMG/NCV (Group 'B' Post) Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification, level in pay matrix.—The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of person in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Technician EEG, EMG/NCV	2*(2020) *subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level-6 (Rs. 35400-112400) in the pay matrix	Not applicable	Not exceeding thirty years. (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) Note : The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by Staff Selection Commission.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation /absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
(i) B. Tech. in Electronics and Electrical Communication engineering from a recognized University or Institute and one-year experience in Neuro Science Laboratory ; or (ii)Three Years Diploma in Electronics and Electrical Communication Engineering or Neuro Electro Physiotherapy from a recognised University or Institute and two years experience in Neuro Science Laboratory.	Age : NA Edu. Qua. : NA	Two years	By deputation (including Short-Term contract) failing which by direct recruitment.

In case of recruitment by promotion or deputation /absorption grade from which promotion or deputation/ absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
By deputation (including short term contract) Officers of the Central Government or State Government or Union territories or Autonomous or Statutory Organizations or Public Sector Undertaking or University or Recognized Research Institution A.(i)holding analogous posts	**Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering Confirmation) comprising of:-** 1. Additional Medical Superintendent, Lady Hardinge Medical College -Chairman; 2. Head Of the Neurology Department, Lady Hardinge Medical College -Member; 3. Deputy Director in Directorate General of Health Services looking after the administration work of Lady Hardinge Medical College -Member; 4. Deputy Director of Lady Hardinge Medical College, New Delhi -Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

on regular basis in the parent cadre or department or (ii) With six years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the level -5 (Rs . 29200-92300/-) in the pay matrix rendered in the parent cadre or department and (B) possessing the educational qualifications and experience prescribed for DR under column (7). **Note 1:** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. **Note 2:** The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.		

[F. No. A.12018/13/2019-MH II]

G.P. SAMANTA, Under Secy.

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

नई दिल्ली, 13 मार्च, 2020

सा.का.नि.65.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और श्रम मंत्रालय (समूह-घ) भर्ती नियम, 1985 को, जहां तक उनका संबंध दफ्तरी चपरासी और सफाईवाला फराश के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, में बहुकार्य कर्मचारीवृंद के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, बहुकार्य कर्मचारीवृंद (समूह-ग पद) भर्ती नियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर.— उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि.—भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।